भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2001
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी उपाय

2001# श्री नीरज शेखरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत पाँच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी काडरों के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख):

(i) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना" अनुमोदित की गई, जिसमें 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। इस नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही देश से वामपंथी उग्रवाद का समग्र उन्मूलन संभव हो पाया है।

(ii) विकास के मामले में, भारत सरकार की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में कई विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया है। इनमें से, विगत पांच वर्षों के दौरान की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, 02 विशिष्ट योजनाओं – 'सड़क आवश्यकता योजना' (आरआरपी) और 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी योजना' (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत लगभग 8,600 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है।
- पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में विकास को गति देने के लिए, 'विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना' के तहत सार्वजनिक अवसंरचना की कमियों को दूर करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक, राज्यों को लगभग 1690.95 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 127.08 किलोमीटर महत्वपूर्ण सड़कों और 6 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा किया जा रहा है।
- पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 9,533 4-जी टावर लगाए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 36 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 60 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को कार्यशील किया गया है।
- वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 1,122 डाकघर खोले हैं। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में 279 बैंक शाखाएं और 121 एटीएम खोले गए हैं।
- छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत निर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर में 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कार्यशील बनाया गया है। इस सुविधा के साथ, अब बस्तर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो गई हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूर के शहर जाने की बाध्यता में कमी आई है।
- स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थियों को 5,04,145 स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड) (4,67,567 व्यक्तिगत टाइटल और 36,578 सामुदायिक टाइटल) वितरित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्व-शासन को और मजबूत

करने के लिए, गृह मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर कार्ययोजना पर कार्य कर रहा है। ये उपाय वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकारों को मजबूत करने और सहभागी शासन को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(iii) गृह मंत्रालय ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के सात पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों की पहुंच और आजीविका सृजन की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया है। इस सर्वेक्षण में शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य संकेतकों और प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता का विवरण संकलित किया गया है। सर्वेक्षण से मिली जानकारी से, केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को विकास संबंधी कमियों को दूर करने तथा आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिल रही है।

(iv) युवाओं और स्थानीय समुदायों को रचनात्मक रुप से जोड़ने के लिए, भारत सरकार जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम (टीवाईईपी) लागू करती है, जिसके तहत पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के जनजातीय युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में एक सप्ताह के लिए शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक यात्रा पर ले जाया जाता है। यह कार्यक्रम उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ती है और देश की औद्योगिक और विकासात्मक प्रगति से परिचित होने का अवसर मिलता है। वर्ष 2021 से अब तक कुल 23,672 जनजातीय युवाओं ने टीवाईईपी में भाग लिया है।

(v) इसके अलावा, सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, भारत सरकार केन्द्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) को उनके परिचालन क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है, जिनमें चिकित्सा शिविर, खेल प्रतियोगिताएं और स्थानीय समुदायों के बीच आवश्यक वस्तुओं का वितरण शामिल है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक लगभग 100 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। इससे सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच आपसी संपर्क को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

(vi) उपरोक्त उल्लिखित उपायों के फलस्वरूप देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है; जिसे कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता था। यह उपलब्धि "वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना 2015" को दृढ़ता से लागू करने और केंद्र व राज्य सरकारों

के आपसी सहयोग से संभव हुई है। वर्तमान में, कोई भी ज़िला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नहीं है। अभी 38 जिलों को "लीगेसी एवं थ्रस्ट" जिलों की श्रेणी में रखा गया है जो अब वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं परंतु इन जिलों की स्थिति को सुदृढ़ करने और वामपंथी उग्रवाद के पुनः पनपने की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त करने हेतु विकास एवं सुरक्षा संबंधी उपायों को कुछ और समय तक जारी रखने की आवश्यकता है।

(vii) वामपंथी उग्रवाद के समूल उन्मूलन के पश्चात् के परिदृश्य में, सरकार का पूरा ध्यान सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति, स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करने, आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने, जनजातीय पहचान और संस्कृति के संरक्षण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में शासन और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित है।

(viii) इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के बाद, वामपंथी उग्रवाद मुक्त क्षेत्रों में एक-तिहाई सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। ये केंद्र स्थानीय समुदायों को आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक तथा खेल जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करेंगे। पहला जन सुविधा केंद्र 'शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र' नेतानार, जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है।

(ix) समग्रत:, भारत सरकार देश के पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और तीव्र विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ): वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां तैयार की हैं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के भाग के रूप में 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से इस प्रयास में राज्यों की सहायता करती है। भारत सरकार एसआरई योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। तीन साल के लिए 10,000 रुपये के मासिक वृति के साथ अपनी रुचि व्यवसाय या व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी प्रावधान है। आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के दिशानिर्देश अनुलग्नक-। में दिए गए हैं।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 2001, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक-I

प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों हेतु आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना के लिए दिशानिर्देश

1. परिचय:

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उन वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) की मदद करने के लिए बनाई गई है जो हिंसा का त्याग करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। यह बहु-आयामी संघर्ष प्रबंधन और समाधान रणनीति का भी हिस्सा है तथा इसे हिंसा के रास्ते पर चलने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा दृढ़ कानूनी कार्रवाई के साथ लागू करने की आवश्यकता है। इस नीति का उद्देश्य आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों को लाभोन्मुख रोजगार और उद्यमशीलता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है ताकि उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और वे वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों में वापस न जाएं।

2. उद्देश्य:

प्रभावित राज्यों में एलडब्ल्यूई के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास के लिए इन दिशानिर्देशों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(क) उन कट्टरपंथी वामपंथी उग्रवादी कैडरों को इस जाल से दूर करने के लिए जो वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं और अब खुद को उस जाल में फंसा हुआ पाते हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि आत्मसमर्पण करने वाले एलडब्ल्यूई कैडर दोबारा एलडब्ल्यूई गतिविधियों में शामिल होने के लिए आकर्षित न हो।

नोट: *जो लोग सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग अपने स्वार्थों को साधने के लिए करते हैं, उनके द्वारा किए गए रणनीतिक आत्मसमर्पण को इस योजना के तहत अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।*

3. पात्रता मानदंड:

क) ये दिशानिर्देश उन एलडब्ल्यूई कैडरों पर लागू होते हैं जो हथियारों के साथ या उनके बिना आत्मसमर्पण करते हैं।

ख) इस योजना के तहत सहायता के लिए ऐसे एलडब्ल्यूई कैडरों की पात्रता की जांच संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग-सह-पुनर्वास समिति द्वारा की जाएगी।

ग) योजना का लाभ उस आत्मसमर्पणकर्ता को नहीं मिलेगा जिसने पहले ही एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों की मौजूदा आत्मसमर्पण/पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पण कर दिया है और वह लाभान्वित हो चुका है। इसलिए, राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को इन मामलों को अंतिम रूप देने से पहले अन्य एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों से परामर्श करना चाहिए।

4. नीति के तहत लाभ:

क) **अनुदान:** उच्च श्रेणी के एलडब्ल्यूई कैडरों जैसे (i) राज्य समिति के सदस्यों (ii) क्षेत्रीय समिति के सदस्यों (iii) केंद्रीय समिति के सदस्यों (iv) पोलिट ब्यूरो सदस्यों के लिए तत्काल 5.0 लाख रुपये और मध्यम/निम्न श्रेणी के एलडब्ल्यूई कैडरों जैसे (i) क्षेत्रीय कमांडरों (ii) उप-क्षेत्रीय कमांडरों (iii) जोनल कमांडरों (iv) राज्य स्क्रीनिंग-सह-पुनर्वास समिति द्वारा चिह्नित किए गए किसी भी कट्टरपंथी वामपंथी उग्रवादी कैडर के लिए 2.5 लाख रुपये आत्मसमर्पणकर्ता के नाम पर बैंक में एक सावधी जमा के रूप में रखा जाएगा, जिसे 3 साल पूरे होने के बाद आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा संबंधित राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारियों द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद निकाला जा सकता है। आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा इस धन का उपयोग स्वरोजगार के लिए किसी भी बैंक से प्राप्त किए जाने वाले ऋण हेतु संपार्श्विक सुरक्षा/मार्जिन मनी के रूप में भी किया जा सकता है।

** राज्य प्रभावी रूप से योजना के प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं और किसी विशेष स्थिति वाले समर्पण के मामले में, यदि कहीं राज्य निर्धारित सीमाओं से अधिक राशि दिए जाने को आवश्यक मानता है, तो राज्य गृह मंत्रालय को विचार के लिए अलग से प्रस्ताव भेज सकता है।*

ख) **आत्मसमर्पण** किए गए हथियार/गोला-बारूद के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि शामिल हैं:

क्र.सं.	**हथियार**	**प्रोत्साहन**
1.	एलएमजी/जीपीएमजी/पिका/आरपीजी/स्नाइपर राइफल/रॉकेट लांचर/समान हथियार	35000 रुपये प्रति हथियार
2.	एके 47/55/74 राइफल	25000 रुपये प्रति हथियार
3.	पिस्तौल/रिवाल्वर/एसएलआर/कार्बाइन/स्टेनगन/ .303	10000 रुपये प्रति हथियार
4.	रॉकेट	1000 रुपये प्रति रॉकेट
5.	ग्रेनेड/हैंड ग्रेनेड/स्टिक ग्रेनेड	500 रुपये प्रति ग्रेनेड
6.	रिमोट कंट्रोल डिवाइस	3000 रुपये प्रति डिवाइस
7.	सभी प्रकार के गोला-बारूद	3 रुपये प्रति राउंड
8.	आईईडी	प्रत्येक के लिए 1000 रुपये
9.	माइंस	3000 रुपये
10.	विस्फोटक सामग्री	1000 रुपये प्रति किग्रा.
11.	वायरलेस सेट (क) शॉर्ट रेंज (ख) लॉन्ग रेंज	 1,000 रुपये प्रति सेट 5,000 रुपये प्रति सेट
12.	सैटेलाइट फोन	10000 रुपये
13.	वीएचएफ/एचएफ संचार उपकरण	5000 रुपये
14.	क) इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ख) अन्य डेटोनेटर	50 रुपये 10 रुपये

नोटः- उपरोक्त हथियारों के समर्पण के बदले दी गई प्रोत्साहन राशि को आत्मसमर्पण करने वाले के नाम पर सावधी जमा के रूप में रखा जाएगा, जिसे 3 साल पूरे होने के बाद आत्मसमर्पणकर्ता, संबंधित राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारियों द्वारा उसके अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद, निकाल सकता है।

ग) योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रारंभ में पुनर्वास शिविर में रखा जाएगा जहां उन्हें अपनी पसंद के अथवा यह उनकी योग्यता के अनुरूप व्यापार/व्यवसाय शुरू करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए 10000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। हालांकि, यदि आत्मसमर्पणकर्ता को सरकार से कोई रोजगार मिलता है, तो मासिक वजीफा बंद कर दिया जाएगा।

5. **हथियारों का प्रबंधन:** राज्य को वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) कैडरों द्वारा समर्पित हथियारों और गोला-बारूद के सुरक्षित भंडारण के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए।

6. वामपंथी उग्रवादी कैडरों की स्क्रीनिंग/पहचान और पुनर्वास की प्रक्रिया।

6.1 आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों की पहचान करके और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए बनी स्क्रीनिंग-सह-पुनर्वास समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i)एडीजी/आईजी (आसूचना/विशेष शाखा/सीआईडी) योजना के तहत 'आत्मसमर्पण सह पुनर्वास अधिकारी (एस एंड आर ऑफिसर)' के रूप में कार्य करेंगे।

(ii)राज्य गृह विभाग के प्रतिनिधि।

(iii)राज्य पुलिस के प्रतिनिधि।

(iv)केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधि।

6.2 कोई भी वामपंथी उग्रवादी सीएपीएफ की किसी भी इकाई, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी), रेंज डीआईजी, आईजी (ऑप्स), आईजी (विशेष शाखा), डीआईजी (विशेष शाखा), एसपी (विशेष शाखा), एसडीएम, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी और अन्य अधिसूचित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारियों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। कोई भी वामपंथी उग्रवादी राज्य के बाहर सेना अथवा सीएपीएफ की किसी भी इकाई के समक्ष भी आत्मसमर्पण कर सकता है। जिस अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाता है वह

आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में भरे गए विवरण आत्मसमर्पण सह पुनर्वास (एस एण्ड आर) अधिकारी को भेजेगा। एस एंड आर अधिकारी संबंधित अधिकारियों/संगठनों से एलडब्ल्यूई कैडर के पूर्ववृत्त को सत्यापित करवाएगा।

6.3 जिस अधिकारी के समक्ष अनंतिम आत्मसमर्पण होता है वह आत्मसमर्पणकर्ता को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा और निर्धारित प्रोफार्मा भरने के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद, उसे एस एंड आर अधिकारी द्वारा अनुरक्षित ट्रांजिट कैंप में भेज देगा। आत्मसमर्पणकर्ता के आत्मसमर्पण की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में निर्णय 15 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।

6.4 <u>स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए मापदंड:</u>

(क) आत्मसमर्पण करने वाले एलडब्ल्यूई कैडर को पैरा-4 (क) में यथा परिभाषित एलडब्ल्यूई कैडर होना चाहिए और संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करना चाहिए।

(ख) संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित एस एंड आर अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आत्मसमर्पणकर्ता वास्तविक वामपंथी उग्रवादी कैडर का है। आत्मसमर्पणकर्ता वामपंथी उग्रवादी कैडर को उसके द्वारा किए गए समस्त आपराधिक कृत्यों के बारे में स्पष्ट स्वीकारोक्ति देनी चाहिए, जिसमें योजना बनाने वालों तथा अन्य सहभागियों के नाम, वित्तपोषकों, शरणदाताओं, संदेशवाहकों के नाम, वामपंथी उग्रवादी संगठनों का ब्योरा, वामपंथी उग्रवादी कैडर तथा उसके संगठन द्वारा लूटे गए/वितरित/निपटाए गए हथियारों/गोला-बारूद तथा संपत्ति का ब्योरा शामिल हो।

6.5 संबंधित प्राधिकारियों/संगठनों से आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) कैडर की गतिविधियों के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, एस एंड आर अधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति उक्त एलडब्ल्यूई कैडर के आत्मसमर्पण के मामले पर औपचारिक रूप से विचार करेगी तथा आत्मसमर्पण स्वीकार किए जाने की स्थिति में संबंधित आत्मसमर्पणकर्ता को पुनर्वास शिविर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

6.6 पुनर्वास शिविर में रखे गए आत्मसमर्पणकर्ता को उसकी रुचि अथवा योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार मासिक वजीफे के वितरण हेतु प्रत्येक माह की 5 तारीख तक एस एंड आर अधिकारी को निधियां उपलब्ध कराएगी।

7. **न्यायालयी मामले:** आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा किए गए जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों का विचारण न्यायालयों में जारी रह सकता है। राज्य सरकारें संबंधित आत्मसमर्पणकर्ता के पूर्ववृत्त तथा मामले के गुण-दोष के आधार पर, प्रत्येक मामले में पृथक रूप से विचार करते हुए अभियोजन वापस लेने पर भी विचार कर सकती हैं। छोटे अपराधों के मामलों में राज्य प्राधिकारियों के विवेकाधिकार के अधीन प्ली बार्गेनिंग की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित राज्य की नीति के अनुसार, राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले एलडब्ल्यूई कैडर को निःशुल्क विधिक सहायता/अधिवक्ता उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है। आत्मसमर्पणकर्ताओं के विरुद्ध लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकारों द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा सकता है।

8. **पुनर्वास प्रक्रिया:** राज्य सरकार आत्मसमर्पणकर्ताओं के पुनर्वास के लिए गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को पुनर्वास अधिकारी (आरओ) के रूप में नामित करेगी। पुनर्वास अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो योजना के अंतर्गत उपलब्ध 5 लाख रुपये तथा 2.5 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग करते हुए, आत्मसमर्पणकर्ताओं को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेगा।

9. **भारत सरकार द्वारा पुनर्वास पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति:** भारत सरकार, आत्मसमर्पणकर्ताओं के पुनर्वास के संबंध में राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत की दर से करेगी तथा यह प्रतिपूर्ति उच्च श्रेणी के एलडब्ल्यूई कैडर के मामले में अधिकतम 5 लाख रुपये तथा निम्न श्रेणी के एलडब्ल्यूई कैडर के मामले में अधिकतम 2.5 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी तथा हथियारों तथा गोला-बारूद के संबंध में, उपर्युक्त पैरा-4 में उल्लिखित प्रावधान लागू होंगे तथा यह प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वास्तव में किए गए व्यय अथवा निर्धारित अधिकतम सीमा में से, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, पुनर्वास

शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान आत्मसमर्पणकर्ता को अधिकतम 36 माह की अवधि के लिए देय 10,000 रुपये प्रतिमाह के वजीफे की भी केंद्र सरकार द्वारा एसआरई योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित अधिकतम सीमाओं के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए 'सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना' के दिशानिर्देशों के अनुसार 60 (केंद्र) : 40 (राज्य) के वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर की जाएगी। तदनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत कुल स्वीकार्य व्यय के 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय हिस्से के रूप में की जाएगी।

10. **भारत सरकार द्वारा पुनर्वास केंद्रों तथा रिकॉर्डों की जांच:** भारत सरकार को पुनर्वास अथवा ट्रांजिट के प्रयोजन से स्थापित किसी भी शिविर की जांच करने तथा इस संबंध में किसी भी रिकॉर्ड का सत्यापन करने का अधिकार होगा।

11. **योजना के प्रभावी रहने की अवधि:** यह योजना दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी।

12. **दिशानिर्देशों का प्रभावी आकलन:** गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।
